भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2843

(18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विलंबित परियोजनाएं

2843. श्री के. सुधाकरन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषकर केरल राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत विलंबित ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो विलंब के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) देश में, विशेषकर केरल राज्य में, कुल कितने गांव अभी भी बारहमासी सड़क से नहीं जुड़ पाए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन गांवों को बारहमासी सड़क से जोड़ने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(ङ) क्या केरल के पहाड़ी या दूरदराज के क्षेत्रों में सड़क संपर्क चुनौतियों के समाधान के लिए कोई विशेष उपाय किए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ख) केरल में पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यकलापों/घटकों के अंतर्गत 5,312.32 किलोमीटर लंबी कुल 1807 सड़कों और 15 पुलों को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 4304.11 किलोमीटर लंबी 1575 सड़कों और 4 पुलों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। 969.45 किमी लंबाई की 232 सड़कें और 11 पुलों का कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। घटक-वार विवरण नीचे दिया गया है:-

घटक	स्वीकृत			पूर्ण			प्रगति में		
	सड़कों की संख्या	सड़क लंबाई (किमी)	पुलों की संख्या	सड़कों की संख्या	सड़क लंबाई (किमी)	पुलों की संख्या	सड़कों की संख्या	सड़क लंबाई (किमी)	पुलों की संख्या
पीएमजीएसवाई-I	1,374	3,308.37	1	1361	3239.95	1	13	40.53	-
पीएमजीएसवाई II	149	582.88	3	140	561.74	3	9	16.14	-
पीएमजीएसवाई-III	284	1,421.06	11	74	502.41	-	210	912.78	11
कुल:	**1,807**	**5,312.32**	**15**	**1575**	**4304.11**	**4**	**232**	**969.45**	**11**

* वक्र लंबाई में कमी, संरेखण में परिवर्तन, अन्य एजेंसियों द्वारा आंशिक लंबाई का निर्माण आदि के कारण निर्माणाधीन सड़क की लंबाई स्वीकृत और पूर्ण लंबाई के अंतर से कम है।

'ग्रामीण सड़क' राज्य का विषय है और पीएमजीएसवाई केंद्र सरकार का एकबारगी विशेष कार्यकलाप है, जो कोर नेटवर्क में पात्र संपर्कविहीन बस्तियों को एकल बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण संपर्क प्रदान करता है। पीएमजीएसवाई कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार , पीएमजीएसवाई परियोजनाओं का निष्पादन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। प्रगति की निगरानी करने और पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए नियमित अंतराल पर भाग लेने वाले राज्य सरकारों के नोडल विभागों के साथ क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें (आरआरएम) और परियोजना समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

पीएमजीएसवाई-I, पीएमजीएसवाई-II और पीएमजीएसवाई-III के पूरा होने की समय-सीमा 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। राज्य को प्रगति में तेजी लाने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी लंबित कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

(ग) से (ङ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) कार्यक्रम की इकाई बस्तियां हैं। देश में कोर नेटवर्क में कुल 1,63,201 पात्र संपर्कविहीन बस्तियों में से 1,62,765 बस्तियों को पीएमजीएसवाई-I के तहत पहले ही बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान किया जा चुका है। केरल राज्य में, राज्य द्वारा निर्धारित कोर नेटवर्क में 404 पात्र संपर्कविहीन बस्तियों में से 402 बस्तियों को पहले ही पीएमजीएसवाई- I के तहत बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान किया जा चुका है। केरल राज्य में केवल 2 बस्तियां संपर्कता के लिए लंबित हैं। बस्तियों की संपर्कता का राज्यवार विवरण कार्यक्रम की वेबसाइट www.pmgsy.nic.in >Progress Monitoring > Habitations Coverage Report पर देखा जा सकता है। पीएमजीएसवाई- I को पूरा करने की समय सीमा 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर, 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- I V (पीएमजीएसवाई-I V) के कार्यान्वयन को अनुमोदन दिया था। पीएमजीएसवाई I V के तहत, 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500+, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ,विशेष श्रेणी के क्षेत्रों (आदिवासी अनुसूची V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र)में 250+ और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 100+ आबादी वाली पात्र 25,000 संपर्कविहीन बस्तियों को नई संपर्कता प्रदान करने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़क के निर्माण और नई संपर्कता वाली सड़कों पर पुलों के निर्माण/उन्नयन का प्रावधान है। इस योजना का कुल परिव्यय 70,125 करोड़ रुपये है। पीएमजीएसवाई-I V दिशानिर्देश सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए गए हैं।

***